


कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

संख्या- 195 /2-2-स्था0(308)/2018-19

देहरादून: दिनांक 23 अप्रैल, 2018.

:: कार्यालय ज्ञाप ::


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत दुर्गम/सुगम कार्यस्थल का चिन्हीकरण स्थानान्तरण हेतु ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत श्रेणी "ख" "ग" एवं "घ" के विभागीय पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची का प्रकाशन विभागीय वैबसाइट www.ukrd.uk.gov.in पर कार्यालय ज्ञाप संख्या- 140/2-2-स्था0(308)/2018-19 दिनांक 20 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रदर्शित किया गया था। जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुख्यालय बेरीनाग एवं गंगोलीहाट का चिन्हीकरण सुगम के स्थान पर दुर्गम संशोधित हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रकाशित पात्र कार्मिकों की सूची में आंशिक संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया, फलस्वरूप इस कार्यालय के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.04.2018 से प्रकाशित सूचियों में संशोधन कर पुनः उक्तानुसार विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। उक्त कार्यालय ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् बनी रहेंगी।


(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
आयुक्त,

संख्या- 195 /2-2-स्था0(308)/2018-19

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।


आयुक्त,
ग्राम्य विकास.